

03/04/24.

पत्रा. पेशा हुई। वकील मय पार्थीगण अनुपाथित।  
 जिन्हे न्यायालय समय पर विधिवत रूप से  
 बार-बार भावजे लगावई गई। उसके उपरान्त  
 भी गैर-दार्जिर रहने से पार्थीगण का पार्थीग।  
 -का अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारेज  
 किया जाता है।

पत्रावली कैसन कुमार शेकर दायित्व दफ्तर  
 में निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर सलूम्वर

जिला सलूम्वर